



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/83/2016/एफ.सी./63

दिनांक: 26-5-17

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: आगरा में 110/132 के०वी० अर्थ इलैक्ट्रोड पारिषण लाईन के निर्माण हेतु शमशाबाद - राजखेड़ा मार्ग की 0.0972 हे० (पूर्व में 0.0792 हे०) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ:- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के पत्र-संख्या-2204/Agra-7883/UP-90/2015,
दिनांक-26.04.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 23.02.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार आगरा में 110/132 के०वी० अर्थ इलैक्ट्रोड पारिषण लाईन के निर्माण हेतु शमशाबाद - राजखेड़ा मार्ग की 0.0972 हे० (पूर्व में 0.0792 हे०) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूल रूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नाम, पदनाम, दिनांक एवं मोहर सहित हस्ताक्षरित करवाकर मूल रूप में उपलब्ध कराये जाएंगे।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।


भवदीय,

(वी० के० सिंह)

अति० प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव(वन), वन अनुभाग, 6वां तल, बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ० प्र०।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, उ० प्र०।
6. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो० आफ् इण्डिया लि०, 400 के०वी० सब स्टेशन, शमशाबाद रोड, पोस्ट- श्यामों, आगरा, उ० प्र०।
7. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रत्रावली


26/05/2017

(वी० के० सिंह)

अति० प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के०)